**मध्यप्रदेश शासन**
**उच्च शिक्षा विभाग**
**मंत्रालय**

भोपाल, दिनांक 22/04.2019

**//आदेश//**

क्रमांक 222/सी.सी.सेल/2019/38:: प्रदेश में सत्र 2019–20 में नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी मार्गदर्शिका में अशासकीय महाविद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय में संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि क्रमशः 15 मार्च, 2019 निर्धारित थी।

2. कतिपय शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा समय सीमा में संबद्धता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन नहीं करने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जिस कारण बडी संख्या में विद्यार्थी प्रभावित होंगे।

3. अतः विद्यमान शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को निरंतरता हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों में संबद्धता प्राप्त करने के लिए **विलम्ब शुल्क सहित आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए दिनांक 30 अप्रैल, 2019** निर्धारित की जाती है। इस वृद्धि के उपरान्त संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा नवीन महाविद्यालय/संकाय/पाठ्यक्रम की **सम्बद्धता जारी करने की अंतिम तिथि में भी वृद्धि करते हुए 10 मई, 2019** की जाती हैं।

(डॉ0 जयश्री मिश्रा)
**अपर सचिव,**
**मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**

पृ0 क्रमांक 223/सी.सी.सेल/2019/38 भोपाल, दिनांक. 22/04.2019

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुडा भवन, भोपाल ।
4. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
7. अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा आई.टी. सेल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

**अपर सचिव,**
**मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**